सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2017/242** दायर दिनांक **29.08.2017**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. बेगाराम पुत्र हणमानाराम, 2. गंगाराम पुत्र हणमानाराम, 3. गोविन्द पुत्र दयालराम, समस्त,जाति—जाट, निवासी—मोड़ियावट, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. सुरजीदेवी पत्नी दयालाराम, 2. भँवरलाल पुत्र बेगाराम, 3. राधादेवी पुत्री गंगाराम, 4. बरजीदेवी पुत्री गंगाराम, 5. सुन्दरदेवी पुत्री गंगाराम, 6. कानीदेवी पुत्री गंगाराम, समस्त,जाति—जाट, निवासी—मोड़ियावट, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 7. मैनेजर यूको बैंक, छोटीबेरी, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 8. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 53, 188 R.T.Act.

उपस्थित :—

1. श्री हीरसिंह बलारा, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री मोहम्मद रफीक, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 की ओर से।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक **26.09.2017**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 एक ही परिवार के हैं।

खेत खसरा संख्या 388 रकबा 18.15 बीघा, खेत खसरा संख्या 452 रकबा 20.13 बीघा, खेत खसरा संख्या 561/467 रकबा 20.06 बीघा, वाकै मोड़ियावट स्थित है, जिनकी वर्तमान में खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा खेत खसरा संख्या 472 रकबा 36.06 बीघा, वाकै मोड़ियावट की वर्तमान में खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 01 ता 03 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जमाबन्दी की नकलें पेश है।

उक्त खेत पैतृक हैं तथा उक्त खेतों का मौखिक बन्टवारा पक्षकारान् ने आज से करीब 20 वर्ष पूर्व ही कर लिया था जिसके अनुसार खेत खसरा संख्या 472 रकबा 36.06 बीघा वादी नम्बर 01 बेगाराम के बन्ट व

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

कब्जाकाश्त में आया तथा खेत खसरा संख्या 388 रकबा 18.15 बीघा सम्पूर्ण व खसरा संख्या 561 / 467 रकबा 20.06 बीघा में से उत्तरी रकबा 10.19 बीघा कुल रकबा 29.14 बीघा वादी नम्बर 03 गोविन्दराम व उसकी माता प्रतिवादी नम्बर 01 सुरजीदेवी के बन्ट व कब्जाकाश्त में आया तथा खेत खसरा नम्बर 452 रकबा 20.13 बीघा सम्पूर्ण तथा खेत खसरा नम्बर 561 / 467 रकबा 20.06 बीघा में से दक्षिणी रकबा 09.07 बीघा कुल रकबा 30.0 बीघा वादी नम्बर 02 गंगाराम के बन्ट व कब्जाकाश्त में आया तथा इसी प्रकार पक्षकारान् अपने–अपने हिस्सों पर काबिज है तथा काश्त करते आ रहे हैं तथा पुरानी सींवें कायम है तथा वादी बेगाराम के पुत्र भँवरलाल ने अपने कुआँ पर अपने नाम से कनैक्शन लेने के लिए रकबा 03 बीघा भूमि अपने नाम से करवाई थी जो भूमि बेगाराम के बन्ट व हक हिस्से की है। इस वन्टवारा को वादीगण ने अपने नजरीनक्शा में दर्शाया है जो वाद का भाग है। नजरीनक्शा वाद के साथ पेश है।

उक्त खेतों का मौखिक बन्टवारा तो वर्षों पूर्व हो चुका है लेकिन कानूनी बन्टवारा नहीं होने से काश्त के समय व सरकारी सहायता लेने में हर समय अड़चन आती है। इसलिए वादीगण उक्त खेतों का कानूनी रूप से बन्टवारा करवाकर अपने–अपने बन्ट के हिस्सों की अलग खातेदारी करवाना चाहते हैं जिसके ये कानूनन् अधिकारी हैं। अतः वादीगण को दावा बाबत् बन्टवारा का करना लाजमी आया है।

प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के जायज अधिकारी है क्योंकि वादीगण की खातेदारी, बन्ट, कब्जाकाश्त व हक हिस्से के खेतों में से प्रतिवादीगण ने दखल कर दिया तो उन्हें अजहद नुकशान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति नकदी से करना सम्भव नहीं होगा। अतः वादीगण को दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का करना लाजमी आया है।

प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 06 का नाम खातेदारी में होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है। इन चारों का हिस्सा अपने पिता वादी गंगाराम के खेतों में रहेगा क्योंकि इनके पिता ने ही उनके हिस्से में से जमीनों का बैचाण करवाने से इनकी खातेदारी दर्ज हुई है।

बन्टवारा के दावा में राज्य सरकार आवश्यक पक्षकार होती है और उसके खिलाफ दावा करने से पूर्व दो माह की अवधि का 80 सी.पी.सी. का नोटिस देना अनिवार्य होता है लेकिन इस वाद में राज्य सरकार के खिलाफ कोई सहायता नहीं चाही है। अतः बिना दो माह की अवधि का नोटिस दिये ही तहसीलदार डीडवाना को पक्षकार बनाया जाकर यह वाद पेश है।

बिनाय दावा वादीगण द्वारा सरकारी सहायता लेने के लिए हल्का पटवारी से फाइल करवाने के लिए जाने से पटवारी द्वारा सामलाती खातेदार होने से मना कर देने से व वादीगण द्वारा दिनाँक 17.08.2017 को ही जमाबन्दी व नक्शा नकलें लेने से अन्दर हदुद अदालत हाजा बमुकाम मोड़ियावट पैदा हुआ।

प्रार्थना वादीगण है कि–

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

खेत खसरा संख्या 388 रकबा 18.15 बीघा, खेत खसरा संख्या 452 रकबा 20.13 बीघा, खेत खसरा संख्या 561/467 रकबा 20.06 बीघा, खेत खसरा नम्बर 472 रकबा 36.06 बीघा, वाकै मोड़ियावट का कानूनी रूप से बंटवारा किया जाकर वाद वर्णितानुसार व नजरी नक्शा में दर्शाए अनुसार किया जाकर वादीगण की अलग अलग खातेदारी की जावे तथा प्रतिवादी भंवरलाल का नाम हटाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में इसी अनुरूप अमल अदामदगी की जावे। वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 07 व 08 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनपस्थित रहन से इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 की और से प्रकरण में राजीनामा पेश हुआ। राजीनामा की इबारत् पक्षकारान् को पढ़कर सुनाई व समझाई गयी जिसे बिना किसी लालच व दबाव के सही होना स्वीकार किया गया। वादीगण की पहचान वकील श्री रणजीत सिंह बलारा तथा प्रतिवादीगण की पहचान वकील श्री मो0 रफीक ने की। अतः हस्अ बक्ष्वाहिश पक्षकारान् राजीनामा तस्दीक किया गया।

पक्षकारान् राजीनामा के मुतातबिक, खेत खसरा संख्या 472 रकबा 36.06 वादी नम्बर 01 बेगाराम के बंन्ट व कब्जा काश्त में आया तथा खेत खसरा संख्या 388 रकबा 18.15 बीघा सम्पूर्ण व खेत खसरा संख्या 561/467 रकबा 20.06 बीघा से उत्तरी रकबा 10.19 बीघा कुल रकबा 29.14 बीघा वादी नम्बर 03 गोविन्दराम व उसकी माता प्रतिवादी संख्या 01 सुरजी देवी के बंट व कब्जा काश्त में आया तथा खेत खसरा संख्या 452 रकबा 20.13 बीघा सम्पूर्ण खेत खसरास ख्या 561/467 रकबा 20.06 बीघा में से दक्षिणी रकबा 09.07 बीघा कुल 30 बीघा वादी नम्बर 02 गंगाराम के बंट व कब्जा काश्त में आया, जिसमें से गंगाराम द्वारा खसरा संख्या 561/467 में बेचाण करने से 6.15 बीघा प्रतिवादी नम्बर 03ता 06 के बंट में, शेष 2.12 बीघा गंगाराम के बंट में रहा तथा खेत खसरा संख्या 452 रकबा 20.13 बीघा में से 120/412 अर्थात 6 बीघा गंगाराम द्वारा प्रतिवादी नम्बर 03 ता 06 को बेचने से उनके बंट में है तथा शेष 14.13 बीघा गंगाराम कें बंट में है। इस प्रकार कुल 17.05 बीघा वादी गंगाराम कें बंट में है इसी प्रकार पक्षकारान अपने अपने हिंस्सो पर काबिज है तथा काश्त करते आ रहे है तथा पुरानी सींवे कायम है तथा वादी बेगाराम के पुत्र भंवरलाल कने अपने कुऑ पर अपने नाम से कनैक्शन लेने के लिये 3 बीघा भूमि अपने नाम से करवायी थी जा भूमि बेगाराम के बंट व हक हिंस्से की है। इस बंटवारे को वादीगण ने अपने नजरी नक्शा में दर्शाया है।

वाद के समर्थन में वादीगण का शपथ पत्र, नजरी नक्शा अनुसूची अ जमाबन्दी ग्राम मोड़ियावट सम्वत् 2072–2075 खेवट संख्या 144/135 की प्रमाणित प्रतिलिपि, जमाबन्दी ग्राम मोड़ियावट सम्वत् 2072–2075 खेवट संख्या 145/136 की प्रमाणित प्रतिलिपि, नक्शा ट्रैश ग्राम मोड़ियावट की सत्यापति प्रति पेश है।

विद्वान अधिवक्तागण पक्षकारान् की सारगर्भित बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस मुख्यतः वाद पर आधारित रही। पत्रावली पर उपलब्ध रिर्काडे का अवलोकन किया। पक्षकारान, राजीनामा के मुताबिक दावा डिक्री किया जाने की इस्तदुआ कर रहे है। पक्षकारान राजीनामा

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मुताबिक दावा डिक्री किया जाने में सहमत है। वादीगण के वाद का किसी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। वादीगण का वाद पक्षकारान् राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत है।

अतः बाद विवेचन, वाद वादीगण डिक्री सादर किया जाता है।

आदेश

हस्ब राजीनामा दावा शरहद मोकियावट पटवार क्षैत्र कोमडी भू-अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर में वादीग्रस्त खसरान् के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज खातेदारान् के स्थान पर, नजरी नक्शा व राजिनामा अनुसार निम्नानुसार बंटवारा किया जाता है :–

1. खसरा संख्या 472 रकबा 36.06 बीघा सम्पूर्ण का वादी संख्या 01 बेनाराम को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. खसरा संख्या 388 रकबा 18.15 बीघा सम्पूर्ण व खसरा संख्या 561 /467 रकबा 20 बीघा 6 बिस्वा में से उत्तरी हिस्सा 10 बीघा 19 बिस्वा कुल 29.14 बीघा वादी नम्बर 03 गोविन्द व उसकी माता प्रतिवादी संख्या 01 सुरजी देवी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. खसरा संख्या 452 रकबा 20 बीघा 13 बिस्वा सम्पूर्ण तथा खेत खसरा संख्या 561/467 रकबा 20 बीघा 06 बिस्वा में से दक्षिणी 09 बीघा 07 बिस्वा कुल 30 बिघावादी नम्बर 02 गंगाराम के बंट व कब्जा कास्त में आया जिसमें से गंगाराम द्वारा खसरा संख्या 561/467 में बेचान करने से 6.15 बीघा प्रतिवादी नम्बर 03 ता 06 के बंट में, शेष 2.12 बीघा गंगाराम के बंट में रहा तथा खेत खसरा संख्या 452 रकबा 20.13 बीघा में से 120/412 अर्थात6 बीघा गंगाराम द्वारा प्रतिवादी नम्बर 03 ता 06 को बेचने से उनके बंट में है तथा शेष 14.13 बीघा गंगाराम के बंट में है। इस प्रकार कुल 2.12 +14.13 कुल 17.05 बीघा वादी गंगाराम के बंट में है। इसी अनुरूप गंगाराम को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा व राजीनामा निर्ण व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **26.09.2017** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर, डीडवाना

बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 2017 / 242

दायर दिनांक 29.08.2017

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. बेगाराम पुत्र हणमानाराम, 2. गंगाराम पुत्र हणमानाराम, 3. गाविन्द पुत्र दयालराम, समस्त जाति जाट, निवासी मोड़ियावट, तहसील डीडवाना	बनाम	1. सुरजी देवी पत्नि दयालाराम, 2. भंवरलाल पुत्र बेगाराम, 3. राधा देवी पुत्री गंगाराम, 4. बरजी देवी पुत्री गंगाराम, 5. सुन्दर देवी पुत्री गंगाराम, 6. कानी देवी पुत्री गंगाराम, समस्त जाति जाट, निवासी मोड़ियावट, तहसील डीडवाना 7. मैनेजर यूको बैंक, छोटी वेरी 8. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत् बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा, अन्तर्गत धारा– 53, 188 R.T.Act.

दिनांक :– 26.09.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हीरसिंह बलारा, अधिवक्ता, वादीगण व श्री मोहम्मद रफीक, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व राजीनामा दावा शरहद मोड़ियावट पटवार क्षेत्र फोगड़ी भू– निरीक्षक क्षैत्र दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर में वादग्रस्त खसरान् के राजस्व रिकार्ड में वर्तमान खातेदारान् के स्थान पर नजरी नक्शा व राजीनामा मुताबिक निम्नानुसार बंटवारा किया जाता हैः–

1. खसरा संख्या 472 रकबा 36.06 बीघा सम्पूर्ण का वादी संख्या 01 बेगाराम को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. खसरा संख्या 388 रकबा 18.15 बीघा सम्पूर्ण व खसरा संख्या 561 / 467 रकबा 20 बीघा 6 बिस्वा में से उत्तरी हिंस्सा 10 बीघा 19 बिस्वा कुल 29.14 बीघा वादी नम्बर 03 गोविन्द व उसकी माता प्रतिवादी संख्या 01 सुरजी देवी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. खसरा संख्या 452 रकबा 20 बीघा 13 बिस्वा सम्पूर्ण तथा खेत खसरा संख्या 561 / 467 रकबा 20 बीघा 06 बिस्वा में से दक्षिणी 09 बीघा 07 बिस्वा कुल 30 बिघावादी नम्बर 02 गंगाराम के बंट व कब्जा काश्त में आया जिसमें से गंगाराम द्वारा खसरा संख्या 561 / 467 में बेचाण करने से 6.15 बीघा प्रतिवादी नम्बर 03 ता 06 के बंट में, शेष 2.12 बीघा गंगाराम के बंट में रहा तथा खेत खसरा संख्या 452 रकबा 20.13 बीघा में से 120 / 412 अर्थात 6 बीघा गंगाराम द्वारा प्रतिवादी नम्बर 03 ता 06 को बेचने से उनके बंट में है तथा शेष 14.13 बीघा गंगाराम के बंट में है। इस प्रकार कुल 2.12 +14.13 कुल 17.05 बीघा वादी गंगाराम के बंट में है। इसी अनुरूप गंगाराम को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा व राजीनामा निर्णय डिक्री का अभिन्ना भाग रहेगा।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

नीज..........–...........मुबलिंग............मुबलिंग...........–..............बावत.............–.............
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह ....–............ आज की तारीख को अदा करें। वसब्ब मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **29.09.2017** को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–242–2017 / रीडर / 2017 / 970 दिनांक 13/10/17

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 53, 188 R.T.Act.

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. बेगाराम पुत्र हणमानाराम, 2. गंगाराम पुत्र हणमानाराम, 3. गोविन्द पुत्र दयालराम, समस्त,जाति–जाट, निवासी–मोड़ियावट, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. सुरजीदेवी पत्नी दयालाराम, 2. भँवरलाल पुत्र बेगाराम, 3. राधादेवी पुत्री गंगाराम, 4. बरजीदेवी पुत्री गंगाराम, 5. सुन्दरदेवी पुत्री गंगाराम, 6. कानीदेवी पुत्री गंगाराम, समस्त,जाति–जाट, निवासी–मोड़ियावट, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 7. मैनेजर यूको बैंक, छोटीबेरी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 8. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner